रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082025-265169
CG-DL-E-01082025-265169

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2025/श्रावण 10, 1947
No. 479] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 522(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (लेखाकार और ज्येष्ठ लेखाकार समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ लेखाकार के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, केंद्रीय सिविल लेखा सेवा में ज्येष्ठ लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (ज्येष्ठ लेखाकार समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना:- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उसका वर्गीकरण और स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि:- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता:- वह व्यक्ति-,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
ज्येष्ठ लेखाकार।	3937* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैटिक्स में स्तर-6 (रु.35,400-1,12,400)।

चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष।	(i) 50 प्रतिशत। ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा। (ii) 50 प्रतिशत। सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति:** (अ) स्तंभ (10) की मद (i) में विनिर्दिष्ट रीति में, उन लेखाकारों में से की जाएगी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 के ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने विभागीय पुष्टिकरण परीक्षा अर्हित की हो। **टिप्पण:** ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को फीडर पद अर्थात लेखाकार के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त हैं, के लिए प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष जारी रहेगी। (आ) स्तंभ (10) की मद (ii) में विनिर्दिष्ट रीति में, केंद्रीय सिविल लेखा सेवा से संबंधित लेखाकारों में से की जाएगी, जिन्होंने (1) लेखाकार के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, और जिन्होंने महालेखा नियंत्रक द्वारा आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा अर्हित की हो; (2) परिवीक्षा अवधि/ पुष्टिकरण पूरा कर लिया हो; और (3) लेखाकार के लिए विभागीय पुष्टिकरण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी; (क) (i) जिन्होंने मूल विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हों; या (ii) जिन्होंने मूल विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु.29,200 - 92,300) या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो सरकारी संगठन में लेखा या लेखापरीक्षा के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु, यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

		टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. संयुक्त महालेखा नियंत्रक - अध्यक्ष; 2. मुख्य लेखा नियंत्रक या लेखा नियंत्रक - सदस्य; 3. मुख्य लेखा नियंत्रक या लेखा नियंत्रक - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं हैं।

[फा. सं. एनजीई-13001/1/2021-एनजीई-सीजीए]

तृप्ति पात्रा घोष, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2025

G.S.R. 522(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Civil Accounts Service (Accountant and Senior Accountant Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2010, in so far as they relate to the post of Senior Accountant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Accountant of the Central Civil Accounts Service, namely:-

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service (Senior Accountant Group 'B' Non-Gazetted post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**. - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and level in the pay matrix**. - The number of post, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc**.- The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed to these rules.

5. **Disqualification**. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

6. **Power to relax**. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings**. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, the Ex- Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Accountant.	3937* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘B’, Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400).	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	(i) 50 per cent. by promotion on seniority-cum-fitness basis. (ii) 50 per cent. by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination, failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
Promotion: (A) In the manner specified in item (i) in column (10) shall be made amongst Accountants in level-5 in the pay matrix with six years of regular service in the grade and who have qualified the Departmental Confirmatory Examination. **Note:** The eligibility service for promotion shall continue to be three years for persons holding the feeder posts, i.e., Accountant on regular basis on the date of notification of these rules.

(B) In the manner specified in item (ii) in column (10) shall be made from Accountants belonging to the Central Civil Accounts Service with (1) three years of regular service in the grade of Accountant, and who qualify in the Limited Departmental Competitive Examination conducted by the Controller General of Accounts; (2) Cleared probation period/ confirmation; and (3) Passed Departmental Confirmatory Examination for Accountants.

Deputation:

Officers from Central or State Government or Union Territory Administrations;

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent Department; or

(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level - 5 (Rs. 29,200 - 92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent Department; and

(b) Possessing two years experience in the field of Accounting or Auditing in Government Organisation.

Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental promotion committee exists, what is its composition.
(12)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of:- 1. Joint Controller General of Accounts - Chairperson; 2. Chief Controller of Accounts or Controller of Accounts - Member; 3. Chief Controller of Accounts or Controller of Accounts - Member.

Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. NGE-13001/1/2021-NGE-CGA]

TRIPTI PATRA GHOSH, Jt. Controller General of Accounts

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA